



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्राक- 1146 / 12-1

दिनांक, चकराता 10 अगस्त 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय :- जनपद-देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम-हरिपुर से मुख्य मार्ग जूनियर हाईस्कूल की ओर सड़क निर्माण हेतु 0.1134 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Proposal No. FP/UK/ROAD/146873/2021)

संदर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया की पत्र संख्या-1248/6सी दिनांक 30.07.2024 (संलग्नक)

महोदय,

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि लोक निर्माण विभाग के ऑनलाईन प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय में दिनांक 03.06.2024 को बैठक आहूत की गई। बैठक में विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निर्धारित नये प्रारूप में Site Inspection Report एवं आवश्यकता हो तो प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के क्रम में Site Inspection Report एवं प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि का प्राक्कलन संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

( अभिमन्यु )

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या 1146/12-1/दिनांकित

प्रतिदिशि-अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया की पत्र संख्या-1248/6सी दिनांक 30.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( अभिमन्यु )

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता



**Check list for site inspection by the DFO/ DFO/CF/CCF/APCCF**

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	0.1134
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	<b>Construction of Village Haripur to Junior Highschool Mtr. (0.435 Km.)</b> N 30° 30' 45.218" E 77° 49' 50.071" N 30° 30' 52.67" E 77° 49' 38.061"
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Reserved Forest _ 0.1134 hac. Civil Soyam Land - 0.00 hac. Van Panchayat Land - 0.00 hac.
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	Not any
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Site is of Eco class V and density 0.1. No tree affected.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	The common faunal species i.e. wild boar, jackal, monkey and Kaakar etc are found in nearby areas.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Nil
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Miscellaneous Forest WC
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	None
12	Any dependent persons/families on this land.	None
13	Any displacement of persons proposed.	None
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	None
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory afforestation scheme is required. 1-Location of CA area-Kalsi-15, Kalsi-I Beat (River Range) 2-Suitability area for CA-Yes 3-Working Plan prescription-Miscellaneous Forest WC 4-Distance-0 Kms. (Kalsi-I Beat, River Range) 5-Number of CA patches-1
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Proposed area is not part of any protected area and aerial distance from nearest PA (Wildlife Sanctuary) is 15.00 Kms.



17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	N/A
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	This route is proposed from Haripur village of Vikasnagar assembly constituency to Junior High School. With the construction of this road, local villagers will get the benefit of transportation and students will get the facility to reach school.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	N/A
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	N/A
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Already annexed to the proposal by user agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	The area proposed for diversion is selected in such a way that no trees will get affected.
23	Any other issue of significance.	No
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	The proposal is recommended for the acceptance in public interest.

Date: 30/09/2024

Signature -  
Name - **Abhimanyu**  
Designation - Divisional Forest Officer,  
Chakrata Forest Division, Kalsi

Seal

उप निरीक्षक  
चक्राता वन विभाग  
चक्राता



जयपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के ग्राम-हरिपुर से मुख्य मार्ग जूनियर हाईस्कूल की ओर सड़क के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (0.1134 है०) के सापेक्ष रीवर राजि के अन्तर्गत कालसी क०सं०-15 आरक्षित वन क्षेत्र में 0.2268 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।  
(1100 पौध प्रति है०) रीवर राजि, चकराता वन प्रभाग, कालसी (वर्ष 2024-25)

G.P.S. 30° 30' 59.562 N 77° 49' 19.9488" E, Height mtr

प्रथम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे व सीमांकन	प्र०है०	238.00	0.2268	53.98
2	क्षेत्र में सामान्य झाड़ी कटान	प्र०है०	2518.00	0.2268	571.08
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेसिंग)	प्र०है०	64355.00	0.2268	14595.71
4	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र०है०	1261.00	0.2268	285.99
5	कन्टूर फरो का कार्य (300 र०मी० प्रति है०)	प्र०फर	132.00	60	7920.00
6	गड्ढा खुदान कार्य	प्र०गड्ढा	13.70	250	3425.00
7	पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित	प्र० पौध	21.64	275	5951.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र-संयंत्र आदि तेज करना	प्र०है०	1152.00	0.2268	261.27
9	भूमि सरक्षण कार्य	प्र०है०	11500.00	0.2268	2608.20
	योग-			योग-	35672.24

द्वितीय वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढा भरान	प्र०गड्ढा	2.35	250	587.50
2	कन्टूर फर एवं बाज बुआई	प्र०फर	10.00	60	600.00
3	पौध का रख-रखाव	प्र०पौ०	4.14	275	1138.50
4	पौध दुलान कार्य मय 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड़ 75 प्रतिशत वैग पौध				
	सिरबोझ नंगी जड़ (6किमी०)	प्रति/सै/किमी०	21.00	70	88.20
	खच्चरों द्वारा वैग पौध दुलान (5 किमी०)	प्रति/सै/किमी०	126.00	205	1291.50
	श्रमिकों द्वारा वैग पौध दुलान (3.5 किमी०)	प्रति/सै/किमी०	260.00	205	1865.50
5	नर्सरी से वनीकरण क्षेत्र तक ट्रक द्वारा दुलान करना।				
	नंगी जड़ (7 किमी०)	प्रति/सै/किमी०	15.00	70	73.50
	वैग पौध दुलान (15 किमी०)	प्रति/सै/किमी०	357.00	205	10977.75
6	पौध रोपण एवं थावलाबन्दी	प्र०पौ०	4.42	250	1105.00
7	निराई गुडाई (दो बार)	प्र०पौ०	10.81	250	2702.50
8	खाद दवा पर व्यय	प्र०पौ०	1.55	250	387.50
9	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है०/9 माह	988.40	0.2268	2017.52
10	अन्य व्यय साईन बोर्ड आदि	प्र०है०	1958.00	0.2268	444.07
11	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
	योग-			योग-	23457.54



तृतीय वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०पौध	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52

चतुर्थ वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52

पंचम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52

षष्ठम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52

सप्तम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52



अष्टम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52

नवम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52

दशम वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र०है०	787.00	0.2268	178.49
2	निराई गुडाई व मल्लिंग कार्य	प्र०है०	6.76	250	1690.00
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र०है० (12माह)	988.40	0.2268	2690.03
	योग-			योग-	4558.52
					95597.95
					16366.05
					4,93,670 x 0.2268 hac=
					1,11,964.00

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे० रु० 4,48,791.00 निर्धारित है। वृक्षारोपण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था की अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्राविधान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे० रु० 4,93,670.00 के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है।

CHE/EMI: Rs. 1,11,964/- Rupee

Draughtsman

Chakrata Forest Division

उप वन संरक्षक  
चकराता वन पभाग  
चकराता